संख्या-35/2019/4895/71-1-2018-जी-132/2018टी0सी0

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 07 मार्च, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में मेडिकल कालेज, कानपुर के सर्जरी विभाग में 08 माड्यूलर ओ0टी0 की स्थापना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एमई/बजट/2018/335, दिनॉक 05-09-2018 एवं पत्र संख्या-एमई/बजट/2018-19/584, दिनॉक 10-12-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कालेज, कानपुर के सर्जरी विभाग में 08 माड्यूलर ओ0टी0 की स्थापना हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित लागत रू0 2081.58 लाख + जी0एस0टी0 अतिरिक्त (नियमानुसार देय) (रू0 बीस करोड़ इक्यासी लाख अट्ठावन हजार मात्र एवं जी0एस0टी0 अतिरिक्त) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर हेतु 24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 267.49 लाख (रू0 दो करोड़ सड़सठ लाख उनचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष् स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
2- प्रायोजना के कार्यान्वयन हेतु महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाय, जिसकी देखरेख में उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराया जाय।
3- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
4- प्रायोजनान्तर्गत जी0एस0टी0 की लागत फिलहाल अनुमन्य नहीं की गयी है। प्रायोजना की लागत हेतु जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी। तदनुसार संशोधित प्रायोजना प्रस्ताव को पुनः परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।
5- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित मॉडयूलर ओ0टी0 संबंधी कार्यमदों की लागत कोटेशन/बाजार दर पर प्रस्तावित की गई है। प्रभाग का मत है कि क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं/अधिकृत वितरकों से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरे प्राप्त करेंगे। चूँकि यह विशेष श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल ऑफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय एवं ध्यान रखते हुए विभागीय पद्धति द्वारा कार्य कराया जाय।
6- प्रस्तावित आगणन का परीक्षण विशिष्टियों, मेक/ब्राण्ड को दृष्टिगत करते हुए सर्वश्रेष्ठ एवं न्यूनतम दर के आधार पर किया गया है। अतः आगणन एवं मूल्यांकन में अंकित विशिष्टियों, मेक/ब्राण्ड को सुनिश्चित करते हुए ही समस्त कार्य कराया जाय, इसमें किसी भी प्रकार का विचलन होने पर पुनः मूल्यांकन आवश्यक है।
7- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो को कराए जाने के फलस्वरूप प्राप्त पुरानी सामग्री के समुचित निस्तारण के संबंध में महानिदेशक स्तर पर एक तकनीकी समिति का गठन किया जाय तथा इसी समिति की देखरेख में प्राप्त सामग्री का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपभोग/निस्तारण वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए तथा निस्तारण से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

8- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था सी0एण्ड0डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0/ प्रधानाचार्य,राजकीय मेडिकल कालेज,कानपुर/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण का होगा।

9- प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

10- प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियॉ एवं कार्य प्राविधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

11- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 30-03-2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नही रखी जायेगी।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-39-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-114/दस-2019, दिनॉक 06 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव

संख्या:-35/2019/4895(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
6- निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- प्रोजेक्ट मैनेजर, यूनिट-5, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
8- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in